न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 05/25 दायरा दिनांक 28.05.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

विनीता पत्नि किशनपाल सिंह जाति खंगार निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला–बांरा राज0 राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 13.06.2025

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुजर्रा पटवार हल्का शुभघरा में ख0नं0 181/5 रकबा 10.00 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन/पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन पेश किया। अप्रार्थी द्वारा दिये गये आदेश क्रमांक/एल.आर./2024/1605 दिनांक 12.06.2024 की पालना में हल्का पटवारी को प्रार्थी की भूमि की पैमाईश करनी थी लेकिन हल्का पटवारी ने आदेश की पालना नहीं की जिससे पैमाईश नहीं हुई। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहती है, पत्थरगढी बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गुजर्रा पटवार हल्का शुभघरा में ख0नं0 181/5 रकबा 10.00 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुजर्रा तहसील शाहाबाद सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 73 अनुसार प्रार्थीया विवादित भूमि ख0नं0 181/5 रकबा 10.00 बीघा की रिकार्डेड खातेदार हैं, इसके अलावा संलग्न नकल खसरा गिरदावरी से भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त होना भी प्रमाणित है। इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर प्रार्थीया को विवादित आराजी ख0नं0 181/5 रकबा 10.00 बीघा ग्राम गुजर्रा पटवार हल्का शुभघरा तहसील शाहाबाद का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

13.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद